न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 02/2021

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–चम्पालाल पुत्र केसाराम जटिया निवासी मंदिर वाला मोहल्ला, भदवासीया, तहसील व जिला जोधपुर।		1–जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर।

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2021 जो विभागीय प्रकरण सं0 34/2017 व 07/2019 सरकार बनाम चम्पालाल में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– **दिनांक 07.06.2022**

1– श्री जे. गहलोत अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)

2– प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2017 को खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ–77 (1)खा.वि./सत./जोधपुर/ दिनांक 08.08.2017 की अनुपालना में विशेष जांच दल लल्लूलाल मीना एवं अन्य तथा स्थानीय प्रवर्तन निरीक्षक मानवेन्द्र अप्रार्थी/अपीलार्थी मैसर्स चम्पालाल खाद्य सुर[illegible] दूकान की शिकायत की जांच करने पर 3740 लीटर केरोसिन व [illegible] चीनी वितरण नहीं किया गया जिस विभागीय प्रकरण सं0 34/2017 [illegible] कर जांच प्रारम्भ की गई तथा एक अन्य शिकायत बाबत् मैसर्स चम्पालाल उ.मू.दू. को [illegible] प्राधिकार पत्र में व्यवसाय स्थल से अन्य जगह दूकान शिफ्ट करने की जांच श्री प्रवर्तन निरीक्षक श्री विकम देवीदास द्वारा करने एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 12.04.2019 को मौके पर जांच कर जांच प्रतिवेदन में मैसर्स चम्पालाल उ.मू.दू. 127/60/9 जोधपुर पोश नं. 29755 जिसके प्राधिकार पत्र में अंकित स्थान श्री मोतीसिंह पुत्र चिमनसिंह खिंची के रहवासी मकान मगरा पूंजला रोड़ जोधपुर वर्णित है जबकि वर्तमान में दूकान का संचालन भदवासीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:10 IST
Reason: SelfAttested

हॉस्पीटल के पास किया जा रहा है तथा प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्तो का उल्लंघन मानते हुए जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने एवं वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश जारी करते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध दो विभागीय प्रकरण (34/2017 व 07/2019) दर्ज कर विभागीय जांच प्रारम्भ की गई तथा बाद जांच अपीलार्थी/अप्रार्थी को आवंटित राशन सामग्री का उठाव कर राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण करना था परन्तु डीलर द्वारा वितरण नहीं किया गया तथा दुरूपयोग से स्टॉक में कम पाई राशन सामग्री 32.50 क्विंटल का बाजार दर अनुसार 39.00 रूपये, केरोसीन 3740 लीटर बाजार दर 60/– रूपये प्रति लीटर से वसूली करने का आदेश देते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् आज दिनांक 07.06.2022 को गुणावगुण बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्य ही बहस में समझी जाने की प्रार्थना की। अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य करने के लिए आरबीजे–(25) 2018 पेज–42 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अपील में बतलाया कि अपीलांट को वर्ष 2017 व 2019 में केरोसीन व चीनी की कम मात्रा सप्लाई मानते हुए बिना विधिक कार्यवाही किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये, अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के पास पहले पोश नं0 26374 की थी, उक्त पोश मशीन खराब होने से दूसरी पोश मशीन नं. 29755 दी गई थी। अपीलार्थी ने किसी प्रकार का केरोसीन व चीनी वितरण में अनियमितता नहीं बरती थी। अपील में आगे कहा कि प्राधिकार पत्र जारी किया गया उस समय मदेरणा कॉलानी में मोतीसिंह पुत्र चिमनसिंह मगरा पूंजला रोड़, जोधपुर से दूकान किराये पर ली हुई थी, परन्तु अपीलार्थी के हाथ पांव दोनों से विंकलाग होने के कारण एवं आय का अन्य स्त्रोत नहीं होने के कारण उसने अपने पट्टासुद भूखण्ड जो एक किलोमीटर दूर है और संबंधित वार्ड की सीमा में ही स्थित है, में दूकान निर्माण कर वहां पर उसी प्राधिकार पत्र का [illegible] की सूचना देते हुए आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर वितरण नियमित से करता रहा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का [illegible] सभी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, लॉनलाईन प्रविष्टियां प्रत्यर्थीपक्ष को भेजी जाने के बाद भी अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. को लिखित में दूकान शिफ्ट उसी वार्ड में करने की सूचना देने के बावजूद इस तथ्य को कन्सीडर नहीं किया गया। अन्त में अपील का अन्दर मियाद सुमार करने, अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्राधिकार पत्र को बहाल करने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना आवश्यक समझते है। प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया परन्तु रेस्पो. ने नकल तैयार नहीं की तथा 22.04.2021 को लॉकडाउन लगा जो मई 2021 तक चला बाद में नक़ल लेकर अधिवक्ता से सलाह लेकर अपील पेश करने में देरी हुई। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया। अपील में हुए विलम्ब के तथ्यों का रेस्पो.पक्ष द्वारा कोई खण्डन नंही किया गया अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आरबीजे–(25) 2018 पेज–42 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है तथा अपील का गुणावगुण निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा है।

अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 07.09.2019 से अपीलार्थी का उचित मूल्य दूकान का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया तथा दिनांक 24.03.2021 को अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी द्वारा 32.50 क्विटल चीनी व 3740 लीटर केरोसीन का वितरण कम करने एव राशन सामग्री का दुरूपयोग करने व अनियमितता बरती जाने से प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध बाजार मूल्य से राशि वसूलने का आदेश दिया गया। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन है कि निर्णय से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर सुनवाई का अवसर नहीं देने, पूर्व की पोश मशीन नं0 26374 और नई पोश मशीन नं0 29755 से सभी इन्द्राज ऑनलाईन प्रेषित करने, बिना कोई मौका दिये अपीलार्थी द्वारा दिये जबाब को बिना कन्सीडर किये प्राधिकार पत्र निरस्त करने की विधिक त्रुटि की है, जो न्यायहित में स्वीकार योग्य है अतः यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई करने हेतु जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मतः निर्णय शीघ्र पारित करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:46:19 IST
Reason: SelfAttested